-38

ANNEX P/3

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

चतुर्थ तल, कम्पोजिट राजस्व भवन, नीडम रोड, बन्द्रवदनी नाका, लश्कर, ग्वालियर
E-mail: ec.ecogwl@mp.gov.in, Phone No: 0755-2540771

क्रमांक 5(1)/2023-24/ 214 ग्वालियर, दिनांक 26.02.2024

// कारण बताओ सूचना पत्र //

प्रति,

1. मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रवेरीज लिमिटेड,
   डी-1/एफ.एल.-9/सी.एस.1-बी अनुज्ञप्तिधारक,
   एवं देशी मदिरा प्रदाय संविदाकार,
   सेहतगंज, जिला रायसेन (मध्यप्रदेश)
2. मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,
   एफ.एल.-9/बी-3 अनुज्ञप्तिधारक,
   सेहतगंज, जिला रायसेन (मध्यप्रदेश)

.....0.....

उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक/आब/ 2023-24/03 दिनांक 01.01.2024 द्वारा सूचित अनुसार नकली शराब परिवहन परमिटो एवं अवैध शराब का परिवहन करने के मामले में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर श्री नितेश यादव द्वारा प्रकरण सत्र प्रकरण क्रमांक 21/2021, फाईलिंग क्रमांक 975/2021 का निर्णय दिनांक 23.12.2023 से आरोपियों को कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इकाइयों के प्रतिनिधि/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री उमाशंकर शर्मा, श्री जी.डी. अरोरा, श्री दिनकर सिंह, एवं श्री मोहन सिंह तोमर एवं श्री दीनानाथ सिंह डायरेक्टर मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लि. रांजराचक, जिला-रायसेन तथा अन्य को उक्त प्रकरण में पारित आदेश में उल्लेखित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी संतोष व ओमप्रकाश पर धारा 34 (2) म.प्र. आबकारी अधिनियम एवं शेष आरोपीगण पर धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी भा.द.वि का आरोप है कि आरोपी संतोष व ओमप्रकाश ने दिनांक 14.12.2011 को 20:15 बजे या उसके लगभग महू-नीमच रोड घाटाबिल्लोद पर ट्रक क. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 में 1200 पेटी अंग्रेजी शराब ब्लूचिप व्हिस्की बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखकर परिवहन किया। शेष आरोपीगण ने मिलकर परमिट कमांक 10363, ट्रक क. एम.पी. 09 एच.एफ. 5185 की बिल्टी और अनेकोनेक परमिट बुक कूटरचित करने का अवैध कार्य अवैध साधनों से करने के लिये आपराधिक षड़यंत्र बनाकर कूटरचित परमिट के छल करने के आशय से कूटरचना किया, कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग में लिया, जिसमें आरोपी मदनसिंह द्वारा 5 फर्जी परमिट बुक, विरेन्द्र भारद्वाज द्वारा 272, रामप्रसाद मिश्रा द्वारा 25, प्रीति गायकवाड द्वारा 279, संजय गोहे ने 282, कैलाश बंगाली ने 29, मोहनसिंह तोमर ने 676, उमाशंकर ने 75 और दिनकरसिंह ने 65 फर्जी परमिट की कूटरचना छल कारित करने के लिये कूटरचित दस्तावेज से स्वयं को अथवा सोम डिस्टलरी को सदोष लाभ पहुंचाने के लिये तथा शासन को सदोष हानि कारित करने के लिये कूटरचित परमिट और बिल्टी से सोम डिस्टलरी रोजराचक से दीव को परिवहन किया।

26/2/24

~~39~~ -39-

1/211

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा धारा 44. "सेवकों के कार्यों के लिये अनुज्ञप्तिधारी का आपराधिक दायित्व" में उल्लेखित है कि

"जहां इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, मंजूर किये गये अनुज्ञा-पत्र या पास के धारक के नियोजन में रखे गये तथा उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 36-क, धारा 38, धारा 38-क या धारा 39 के अधीन कोई अपराध किया जाए, वहां ऐसा धारक भी उसी प्रकार दण्डनीय होगा मानो उसने स्वयं वह अपराध किया हो, जब तक वह यह साबित न कर दे कि उसने ऐसे अपराध किये जाने की रोक करने के लिए समस्त सम्यक् एवं युक्तियुक्त पूर्वधानियों का प्रयोग किया था "

उपरोक्तानुसार प्रकरण में मुख्यत: आपकी इकाई के अंतर्गत तत्समय पदस्थ निम्नानुसार कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डादेश जारी किया गया है :-

1. उमाशंकर पिता श्री भैय्यालाल शर्मा, उम्र- 46 वर्ष, व्यवसाय-सुपरवाईजर सोम डिस्टलरीज रेजरायक रायसेन, निवासी सी-12 जे.पी. कॉलोनी आनंद नगर भोपाल। SDL
2. दिनकर सिंह पिता स्व. श्री अंबिका सिंह, उम्र- 55 वर्ष, व्यवसाय- सुपरवाईजर सोम डिस्टलरीज सेहतगंज जिला रायसेन, निवासी- 93 प्रेस कॉलोनी आनंद नगर भोपाल।
3. मोहन सिंह तोमर पिता स्व. श्री अब्बल सिंह तोमर उम्र 51 वर्ष, व्यवसाय- सुपरवाईजर सोम डिस्टलरीज सेहतगंज रायसेन। निवासी- 129 बिजली कॉलोनी आनंद नगर थाना पिपलानी जिला भोपाल। WP
4. दीनानाथ सिंह पिता श्री कैलाश सिंह, उम्र 51 वर्ष, व्यवसाय संचालक सोम डिस्टलरीज ब्रेवरेज लिमिटेड भोपाल, निवासी 312-2सी साकेत नगर भोपाल।
5. शैलेन्द्र सिंह पिता श्री प्रताप सिंह राजपूत, उम्र- 52 वर्ष, व्यवसाय- मैनेजर सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरेज लिमिटेड भोपाल। निवासी 32 शिक्षक कॉलोनी ब्राईट कैरियर स्कूल के पास थाना कोतवाली जिला विदिशा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में आपकी इकाई में अंतर्गत तत्समय पदस्थ उपरवर्णित कर्मचारियों द्वारा कूटरचना छल कारित करने के लिये कूटरचित दस्तावेज से स्वयं को अथवा आपकी इकाई को सदोष लाभ पहुचाने के लिये तथा शासन को सदोष हानि कारित करने के लिये कूटरचित परमिट और बिल्टी से दीव को मदिरा परिवहन करने संबंधी प्रकरण में दोषी पाया गया है।

अत: कारण बतायें कि उपरोक्त आपकी इकाई में अंतर्गत तत्समय पदस्थ उपरवर्णित कर्मचारियों का हित सन्निहित होने से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत् क्यों न आपको जारी अनुज्ञप्तियां निरस्त की जावें ? इस संबंध में आप अपना समाधानकारक लिखित उत्तर स्वयं अथवा आपके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, इस सूचना पत्र की प्राप्ति से 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। नियत समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने अथवा प्राप्त उत्तर समाधान कारक न होने की स्थिति में, आपके विरुद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही आदेशित की जावेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

26/2/24

(अभिजीत अग्रवाल)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

//3//

पृष्ठांठन क्रमांक 5(1)2021-22/ 215 ग्वालियर, दिनांक 26.02.2024

प्रतिलिपिः-

1- उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2- जिला आबकारी अधिकारी, जिला रायसेन की ओर इस कारण बताओ सूचना पत्र की अतिरिक्त प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप कारण बताओ सूचना पत्र संबंधित इकाई को तामील कराकर पावती अभिस्वीकृति दो दिवस में इस कार्यालय को भिजवायें।

26/2/24
(अभिजीत अग्रवाल)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश